

‘राष्ट्रीय फ़िल्म विकास नगिम’ के तहत फ़िल्म नक़ायों का वलिय

प्रलमिस के लयि:

राष्ट्रीय फ़िल्म विकास नगिम, सार्वजनक कषेत्र के उपकरम, केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोरड (CBFC)

मेन्स के लयि:

राष्ट्रीय फ़िल्म विकास नगिम के तहत फ़िल्म नक़ायों के वलिय से संबंघति मुवदे ।

चर्चा में क्यो?

हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चार फ़िल्म मीडिया इकाइयों के वलिय की घोषणा की है, जसके तहत फ़िल्म डव्ज़न, फ़िल्म समारोह नदशलालय, भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रह और बाल चत्रि समति को ‘राष्ट्रीय फ़िल्म विकास नगिम’ में मलाया जाएगा ।

- यह नरिणय बमिल जुल्का के नेतृत्व वाली वशेषज्ज समति (2020) की फ़िल्म मीडिया इकाइयों के युक्तकरिण और वलिय पर रपिरट के अनुरूप है ।

प्रमुख बदि

■ चार फ़िल्म मीडिया इकाइयों के वषिय में:

○ फ़िल्म डव्ज़न:

- यह वर्ष 1948 में स्थापति कया गया था और चारों इकाइयों में सबसे पुराना है ।
- इसे मुख्य रूप से सरकारी कारयकरमों के प्रचार हेतु वृत्तचत्रिों के नरिमाण और समाचार पत्रकियाओं का प्रकाशन और भारतीय इतहास का सनिमाई रकॉर्ड रखने के लयि बनाया गया था ।

○ फ़िल्म समारोह नदशलालय:

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत स्थापति फ़िल्म समारोह नदशलालय को भारतीय फ़िल्मों को बढावा देने का कारय सौपा गया है ।
- यह फ़िल्म आधारति सांस्कृतकि आदान-प्रदान के माध्यम से अंतर-सांस्कृतकि समझ को बढावा देने का भी प्रयास करता है ।

○ भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभलिखागार:

- भारतीय सनिमाई वरिसत्त की प्रापति और उसे संरकषति करने के प्राथमकि उद्देश्य के साथ वर्ष 1964 में भारतीय राष्ट्रीय फ़िल्म अभलिखागार की स्थापना की गई थी ।

○ बाल चत्रि समति (CFSI):

- बाल चत्रि समति (Children’s Film Society of India-CFSI) ने वर्ष 1955 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त नक़ाय के रूप में कारय करना प्रारंभ कया ।
- CFSI ऐसी फ़िल्मों को बढावा देता है जो बच्चों को स्वस्थ और सर्वांगीण मनोरंजन प्रदान कर उनके दृष्टकोग को वशि्व भर में प्रतबिबिति करने में प्रोत्साहति कर सके ।

■ NFDC के बारे में:

- राष्ट्रीय फ़िल्म विकास नगिम (NFDC) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कारयरत एक [सार्वजनकि कषेत्र उपकरम \(PSU\)](#) है, जसकी स्थापना वर्ष 1975 में भारतीय फ़िल्म उद्योग के एकीकृत विकास को संवर्द्धति और व्यवस्थति करने तथा सनिमा में उत्कृष्टता को बढावा देने के उद्देश्य से की गई थी ।
- वर्तमान में रवदिर भाकर इसके अध्यक्ष हैं, जो कि [केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोरड](#) के मुख्य कारयकारी अधिकारी भी हैं ।

वलिय का महत्त्व:

■ बेहतर समन्वय:

- इन सभी को एक प्रबंधन के तहत लाने से वभिनिन गतविधियों के बीच ओवरलैप की स्थति में कमी आएगी जससे सार्वजनकि

संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

- फ़िल्मों के निर्माण में प्रोत्साहन:
- यह फीचर फ़िल्मों, वृत्तचित्रों, बाल फ़िल्मों और एनीमेशन फ़िल्मों सहित सभी शैलियों की फ़िल्मों के निर्माण तथा वभिन्न अंतरराष्ट्रीय समारोहों में भागीदारी के माध्यम से फ़िल्मों का प्रचार व वभिन्न समारोहों का घरेलू स्तर पर आयोजन, फ़िल्मी सामग्री का संरक्षण, फ़िल्मों का डिजिटलीकरण, बहाली एवं वितरण तथा आउटरीच गतिविधियों को मज़बूती के साथ प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
 - हालाँकि इन इकाइयों की उपलब्ध संपत्तिका स्वामित्व भारत सरकार के पास रहेगा।

वलय से संबंधित मुद्दे:

- राष्ट्रीय फ़िल्म विकास नगिम के घाटे की स्थिति:
 - घाटे में चल रहे नगिम के साथ चार सार्वजनिक वित्तपोषण निकायों का वलय किया जा रहा है।
- वलय को लेकर कोई ठोस योजना नहीं:
 - अभिलेखागार का हस्तांतरण कैसे किया जाएगा, इस संबंध में कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है क्योंकि सेल्युलाइड ('सनिमेटोग्राफिक फ़िल्म के लिये प्रयुक्त किया जाने वाला पद) भंगुर और ज्वलनशील सामग्री होती है।
 - यदि NFDC लाभ अर्जित नहीं करेगा तो वनिविश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उस स्थिति में यदि हमारे अभिलेखागार स्वायत्त सार्वजनिक संस्थान नहीं रहते हैं, तो नसिंदेह उनके साथ छेड़छाड़ की जाएगी, उन्हें क्षतिग्रस्त किया जाएगा या हमेशा के लिये नष्ट कर दिया जाएगा।

भारतीय फ़िल्म उद्योग की स्थिति:

- भारत विश्व स्तर पर फ़िल्मों का सबसे बड़ा निर्माता है। नज्जि क्षेत्र के नेतृत्व में यह उद्योग एक वर्ष में 3000 से अधिक फ़िल्मों का निर्माण करता है।
- वित्तीय वर्ष 2020 में भारत में फ़िल्म उद्योग व्यवसाय लगभग 183 बिलियन रुपए का था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/merger-of-film-bodies-under-national-film-development-corporation>

